राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 215/2019 GCMS No. 2019/00978

1. मालाराम पुत्र झाबरराम जाति मेघवाल निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 – मृतक
   1/1. सुशील कुमार पुत्र स्व. मालाराम जाति मेघवाल
   1/2. बनारसी देवी पत्नी स्व. मालाराम
   1/3. सुमित्रा पुत्री स्व. मालाराम
   1/4. सज्जना देवी पुत्री स्व. मालाराम
   1/5. सुशीला पुत्री स्व. मालाराम
   सभी जाति मेघवाल निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. रूड़ाराम पुत्र भानाराम नवीरा झाबरराम
2. रोहितश पुत्र भानाराम नवीरा झाबरराम
3. जलेसिंह पुत्र भानाराम नवीरा झाबरराम
4. कमलेश पुत्र ओमप्रकाश नवीरा भानाराम
5. अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश नवीरा भानाराम
6. मिश्री देवी पत्नी ओमप्रकाश नवीरा भानाराम
   सभी जाति मेघवाल निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा– घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती

–: निर्णय :– दिनांक : 18/7/23

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के हाल खाता सं. 657 के हाल खसरा नंबर 1930 रकबा 0.65 है., ख.नं. 1961 रकबा 0.70 है., ख.नं. 1966 रकबा 1.34 है. कुल किता 4 कुल रकबा 3.09 है. के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी स्व. भानाराम पुत्र झाबरराम काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन शुरू से ही उक्त भूमि के 1/2 भाग पर वादी तथा शेष भूमि 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 काबिज काश्त हैं। उक्त वर्णित [illegible] 473, 459/1 व 475 से बने हैं जो संवत् 1999, 2000 में जागीरदार ठिकाना [illegible] सूरतसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना के नाम [illegible] प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 के हकपूर्वाधिकारी का संवत् 1999 से ही उक्त [illegible] कब्जा होने के कारण धरा 19 राजस्व अधिनियम के प्रावधानों [illegible] पुत्र झाबरराम कर्ता [illegible] होने से अकेले भानाराम के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। [illegible] व प्रतिवादीगण सं. [illegible] 6 के हकपूर्वाधिकारी सगे भाई थे जिनमें स्व. भानाराम घर के बड़े मुखिया व कर्ताखानदान था और धारा 19 में जब उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड बना उस समय उक्त भूमि स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भानाराम पुत्र झाबरराम के अकेले के नाम ही दर्ज रिकार्ड हो गई जबकि उस समय वादी व स्व. भानाराम दोनों भाई साझे में काश्त करते थे। चूंकि वादी व स्व. भानाराम संवत् 1999–2000 से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित भूमि में अपना 1/2 भाग की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है :–

(अ) ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1930 रकबा 0.65 है., ख.नं. 1961 रकबा 0.70 है., ख.नं. 1963 रकबा 0.04 है., ख़.नं. 1966 रकबा 1.34 है. कुल किता 4 कुल रकबा 3.09 है. में वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किये जाने की कृपा करें।

(ब) ग्राम बुहाना स्थित उपरोक्त भूमि में वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 ने इक़बाली जवाब दावा मय राजीनाम प्रस्तुत किया। राजानाम बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रदर्श–अ अंकित किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस विद्वान योग्य अधिवक्तागण ने उभय पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 के मध्य हुए आपसी सहमति राजीनामा (प्रदर्श–अ) के मुताबिक वाद वादीगण दावा डिक्री किये जाने पर सहमति दी है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 748 में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 1930, 1961, 1963, 1966 कुल किता 4 कुल रकबा 3.09 है. में पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 के मध्य हुए आपसी सहमति राजीनाम **(प्रदर्श–अ)** के वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 18/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

राजस्व वाद संख्या–215/2019
जीसीएमएस संख्या – 2019/00978
मालाराम बनाम रूडाराम आदि
निर्णय दिनांक:– 18/7/23

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर – 215/2019 GCMS No. 2019/00978

1. मालाराम पुत्र झाबरराम जाति मेघवाल निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 – मृतक
   1/1. सुशील कुमार पुत्र स्व. मालाराम जाति मेघवाल
   1/2. बनारसी देवी पत्नी स्व. मालाराम
   1/3. सुमित्रा पुत्री स्व. मालाराम
   1/4. सज्जना देवी पुत्री स्व. मालाराम
   1/5. सुशीला पुत्री स्व. मालाराम
   सभी जाति मेघवाल निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. रूड़ाराम पुत्र भानाराम नवीरा झाबरराम
2. रोहितश पुत्र भानाराम नवीरा झाबरराम
3. जलेसिंह पुत्र भानाराम नवीरा झाबरराम
4. कमलेश पुत्र ओमप्रकाश नवीरा भानाराम
5. अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश नवीरा भानाराम
6. मिश्री देवी पत्नी ओमप्रकाश नवीरा भानाराम
   सभी जाति मेघवाल निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती

वादीगण की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/7/2023 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 748 में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 1930, 1961, 1963, 1966 कुल किता 4 कुल रकबा 3.09 है. में पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 के मध्य हुए आपसी सहमति राजीनामा (प्रदर्श–अ) के वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18/07/2023 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)